संख्या-6/2015/क0नि0-4-193/11-2015-400(26)/2006

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 23 फरवरी, 2015

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में 05 निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप 05 नये वाहन क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-4-वाहन क्रय-निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन-2014-15/5132/वाणिज्य कर, दिनांक 02.02.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन संख्या- यू0पी0-81-एफ-8809(जिप्सी), यू0पी0-65-वी-8485(जीप), यू0पी0-65-एन-0924(जीप), यू0पी0-92-0055(जीप) तथा यू0पी0-41-जी.-0008(स्पेशियों) के प्रतिस्थापन स्वरूप 05 नयी टाटा सूमों गोल्ड सी0एक्स0 पावर स्टेयरिंग (बी0एस0-4) डीजल जीप क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0-25,38,500-00 (रूपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र) व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. यह भी सुनिशिचत किया जाये कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त 05 वाहन के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।

3. स्वीकृत नये वाहन का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत डी0जी0एस0एण्डडी0 दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा दर की वैधता की अवधि सुनिशिचत कर ली जायेगी।

4. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के "अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-2040-विक्री, व्यापार आदि पर कर-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-59/दस-2015, दिनांक 19 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या- 6/2015/क0नि0-4-193(1)/11-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in